न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-119RAAJodhpur2022-44RTA223 Jetharam ors Vs Bannaram etc

01. जेठाराम पुत्र हेमाराम
02. विशनाराम पुत्र देवाराम
दोनो जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम इन्दों की ढाणी, भीकमकोर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. बनाराम पुत्र भगवानाराम
2. हुकमाराम पुत्र भोमाराम
3. गोमदराम पुत्र भोमाराम
4. दिनेश कुमार पुत्र भोमाराम
5. मांगीदेवी पत्नी श्री भोमाराम
सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम इन्दो की ढाणी, भीकमकोर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

परफोर्मा पक्षकार

6. ओमप्रकाश पुत्र चेनाराम
7. खींयाराम पुत्र देवाराम
8. गड्डूकराम पुत्र चेनाराम
9. चौथाराम पुत्र हेमाराम
10. जेठाराम पुत्र देवाराम
11. झमू पत्नी जोगाराम
12. तकाराम पुत्र मालाराम
13. दीनाराम पुत्र तेजाराम
14. नरपतराम पुत्र देवाराम
15. पपूड़ी पत्नी हेमाराम
16. फरसाराम पुत्र देवाराम
17. फुसाराम पुत्र मालाराम
18. भभूताराम पुत्र जोगाराम
19. बीरमाराम पुत्र जोगाराम
20. भोमाराम पुत्र देवाराम
21. मंगलाराम पुत्र चेनाराम
22. रेंवतराम पुत्र हेमाराम

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

23. रिकाराम पुत्र चेनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता नोजी पत्नी चेनाराम
24. हीराराम पुत्र जोगाराम
25. करनाराम पुत्र धनाराम
26. भीकाराम पुत्र गोरखाराम
27. किशनाराम पुत्र गोरखाराम
28. किशनाराम पुत्र चांदाराम
29. श्रवणराम पुत्र चांदाराम
30. राजुराम पुत्र चांदाराम
31. ओमाराम पुत्र चांदाराम
32. मुकेश पुत्र चांदाराम
33. पुरखाराम पुत्र धनाराम
34. बंशीलाल पुत्र अणदाराम के कायम मुकामः -
    34.1. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल जाति मेघवाल, निवासी- इन्दो की ढाणी, भीकमकोर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
    34.2. सुआ पुत्री बंशीलाल पत्नी श्री गेनाराम, जाति मेघवाल, निवासी- जाटा वास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
    34.3. पप्पू पुत्री बंशीलाल, पत्नी श्री प्रकाश जी जाति मेघवाल, निवासी- जाटा वास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
35. भंवरलाल गोद पुत्र उदाराम
36. कमला पुत्री मानाराम
37. समुदेवी पत्नी तकाराम

    समस्त जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम इन्दो की ढाणी, भीकमकोर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 43/2021 (1102/2020) बनाराम व अन्य बनाम ओमप्रकाश इत्यादि

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री प्रकाश चन्द वर्मा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच
श्री सी.एस. मून्दड़ा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6,8 से 12,14 से 24,34/1,37
श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 38

नि र्ण य

दिनांक : 15 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 43/2021 (1102/2020) अनवान बनाराम व अन्य बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 23 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 348 रकबा 88 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 339 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा खसरा नं. 344 रकबा 50 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नं. 347 रकबा 80 बीघा 14 बिस्वा मूल ग्राम भीकमकोर तहसील लोहावट के संबंध में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2022 के जरिये वाद प्राथमिक डिक्री कर बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

15-1-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व मौके पर किसका कब्जा है तथा मौके पर किसका काश्त है, इन तथ्यों की कोई जांच नहीं की एवं अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/रेस्पो. संख्या एक से पांच, अपीलांट्स एवं अन्य प्रतिवादीगण में सें किसी के भी लिखित बयान नहीं लिए एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भूमिधारी तहसीलदार लोहावट का जवाब दावा भी रेकर्ड पर नहीं लिया है तथा न ही भूमिधारी तहसीलदार लोहावट के लिखित बयान ही लिए है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी को प्रदर्श नहीं किया गया और न ही किसी भी पक्षकार से लिखित बयान लेकर जमाबंदी प्रदर्श को मार्क किया गया है। बिना प्रदर्श मार्क किये जमाबंदी को साक्ष्य में पढा नहीं जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया की पूर्ण पालना किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2022 को ही प्रतिवादीगण का जवाब बंद कर उसी दिन बहस सुनकर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जबकि नियमानुसार साक्ष्य संपूर्ण होने के बाद ही पक्षकारों की अंतिम बहस सुनी जाती है। माननीय विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के आधार पर ही निर्णय एवं डिक्री पारित की है, उक्त जमाबंदी राजस्व रेकर्ड मिसल बंदोबस्त संवतः 2011-2030 के आधार पर बनी है, जबकि मिसल बंदोबस्त स्वयं गलत बनी हुई है। गांव भीकमकोर तहसील औसियां की खतौनी बंदोबस्त संवतः 2011-2030 के खाता संख्या 571, 572, 573 में अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों के नाम दर्ज है, जिसमें खाता संख्या 571 में माला अणदा पिसरान् आसू दर्ज है, जबकि खाता

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 573 में मालिया वल्द आसू ही दर्ज है, जबकि आसू के दो पुत्र माला उर्फ मालिया एव अणदा थे। इसी प्रकार खाता संख्या 572 में भगीया व रामू पिसरान् कोला दर्ज है, जबकि खाता संख्या 573 में भगीया वल्द कोला ही दर्ज है, जबकि कोला के दो पुत्र भगीया एवं रामू थे। तीनो नंबर को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि खाता संख्या 573 में जो नाम इन्द्राज किये गए है वे गलत इन्द्राज किये गए है तथा हिस्सा भी गलत इन्द्राज किया गया है। खाता संख्या 573 में भगीया वल्द कोला का 3/4 हिस्सा दर्ज किया गया है, वह हिस्सा गलत दर्ज है। सही हिस्सा 1/2 हिस्सा ही हैं सेटलमेंट संवतः 2011 से पूव भगीया वल्द कोला के पूर्वजों का उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर ही कब्जा काश्त था, शेष 1/2 हिस्से पर तेजा वल्द पोला एवं मालिया वल्द आसू के पूर्वजो का कब्जा एवं काश्त था तथा तेजा वल्द पोला एवं मालिया वल्द आसू के फौत होने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नं. 348 के 1/2 हक व हिस्से पर उनके वारिसों का कब्जा एवं काश्त वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक निर्विवाध रूप से चला आ रहा है तथा जिसमें इनकी ढाणियॉ, टांके एवं पशुओं के बाड़े बने हुए है। उक्त मिसल बंदोबस्त का सही रूप से अवलोकन नही करके अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। प्रतिवादी संख्या 34 बंशीलाल का दिनांक 20.09.2021 को देहांत हो चुका है। उक्त तथ्य भी वादीगण/रेस्पो. संख्या एक से पांच के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये तथा नही कायम मुकाम की कार्यवाही की गई है। ऐसें आलौच्य निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 43/2021

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(1102/2020) अनवान बनाराम व अन्य बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2022 को खारिज फरमाया जावे तथा मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जावे कि वह प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की साक्ष्य सुनवाई उपरांत विधि अनुसार वाद का निस्तारण करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील उपरांत वे विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.03.2021 को उपस्थित हो गये। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2021, 09.07.2021, 24.12.2022, 31.12.2021 एवं दिनांक 04.02.2022 तक जवाबदावा प्रस्तुति हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद तामील नियमानुसार 90 दिन की अवधि बीत जाने के पश्चात नियमानुसार प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया है। अपीलांट्स द्वारा जवाब बंद किये जाने के आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की चाराजोही अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक-हिस्से अनुसार ही जारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के हक-हिस्से में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी बंशीलाल के खिलाफ पूर्व से ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होने से हस्तगत अपील को खारिज फरमाया जावे।

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 14.12.2009 पेज 828 की न्यायिक नजीर पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितिंयों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक <u>प्रतिवादीगण/अपीलांट</u> बाद तामील उपस्थित होने पर विचारण न्यायालय द्वारा उन्हे जवाब हेतु दिनांक 09.04.2021 से दिनांक 04.02.2022 तक पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया जाता है। तत्पश्चात विधिनुसार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का जवाब दावा बंद कर विभाजन के वाद में जमाबंदी में दर्ज हक-हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। आलौच्य निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना नहीं पाया जाता है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि वक्त सेटलमेंट मिसल बंदोबस्त गलत जारी हुआ है। इस संबंध में लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद भी अपीलांट्स द्वारा सक्षम स्तर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना नही पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय में गुणावगुण पर किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

15-1-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 43/2021 (1102/2020) अनवान बनाराम व अन्य बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2022 यथावत रखे जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई को अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी करे। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-119RAAJodhpur2022-44RTA223 Jetharam ors Vs Bannaram etc

अपीलाण्ट		**रेस्पोडेण्ट**
01. जेठाराम पुत्र हेमाराम 02. विशनाराम पुत्र देवाराम दोनो जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम इन्दों की ढाणी, भीकमकोर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. बनाराम पुत्र भगवानाराम 2. हुकमाराम पुत्र भोमाराम 3. गोमदराम पुत्र भोमाराम 4. दिनेश कुमार पुत्र भोमाराम 5. मांगीदेवी पत्नी श्री भोमाराम सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम इन्दो की ढाणी, भीकमकोर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर **परफोर्मा पक्षकार** 6. ओमप्रकाश पुत्र चेनाराम 7. खींयाराम पुत्र देवाराम 8. गड्डूकराम पुत्र चेनाराम 9. चौथाराम पुत्र हेमाराम 10. जेठाराम पुत्र देवाराम 11. झमू पत्नी जोगाराम 12. तकाराम पुत्र मालाराम 13. दीनाराम पुत्र तेजाराम 14. नरपतराम पुत्र देवाराम 15. पपूड़ी पत्नी हेमाराम 16. फरसाराम पुत्र देवाराम 17. फुसाराम पुत्र मालाराम 18. भभूताराम पुत्र जोगाराम 19. बीरमाराम पुत्र जोगाराम 20. भोमाराम पुत्र देवाराम 21. मंगलाराम पुत्र चेनाराम 22. रेंवतराम पुत्र हेमाराम 23. रिकाराम पुत्र चेनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता नोजी पत्नी

15-1-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चेनाराम

24. हीराराम पुत्र जोगाराम
25. करनाराम पुत्र धनाराम
26. भीकाराम पुत्र गोरखाराम
27. किशनाराम पुत्र गोरखाराम
28. किशनाराम पुत्र चांदाराम
29. श्रवणराम पुत्र चांदाराम
30. राजुराम पुत्र चांदाराम
31. ओमाराम पुत्र चांदाराम
32. मुकेश पुत्र चांदाराम
33. पुरखाराम पुत्र धनाराम
34. बंशीलाल पुत्र अणदाराम के कायम मुकामः -
    34.1. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल जाति मेघवाल, निवासी- इन्दो की ढाणी, भीकमकोर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
    34.2. सुआ पुत्री बंशीलाल पत्नी श्री गेनाराम, जाति मेघवाल, निवासी- जाटा वास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
    34.3. पप्पू पुत्री बंशीलाल, पत्नी श्री प्रकाश जी जाति मेघवाल, निवासी- जाटा वास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
35. भंवरलाल गोद पुत्र उदाराम
36. कमला पुत्री मानाराम
37. समुदेवी पत्नी तकाराम

समस्त जातियान् मेघवाल, निवासीगण-

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ग्राम इन्दो की ढाणी, भीकमकोर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 43/2021 (1102/2020) बनाराम व अन्य बनाम ओमप्रकाश इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 15 जनवरी 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द वर्मा मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री पूनाराम विश्नोई, श्री सी.एस. मून्दड़ा अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 43/2021 (1102/2020) अनवान बनाराम व अन्य बनाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2022 यथावत रखे जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई को अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी करे। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 15 जनवरी 2024 को जारी किया गया।

15-1-24

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील	/
मीजान		मीजान	

15-1-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर